फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

लक्ष्मा वनाम मांगे (गिरा)

मुकदमा धारा 88 89 92 (अ) नं० 67 सन् 2021

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|
| 1 ✓ वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-1-22 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलक्टर माण्डल | |
| 2। वकील वादी द्वारा एक राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश होने से पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प लेसवा ग्राम पचांयत मे पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से अधिकार पत्र श्री राजमल जीनगर अधिवक्ता ने पेश किया। उभयपक्षो के द्वारा आपसी राजीनामा मे निवेदन किया कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का भीमड़ियास तहसील माडंल के राजस्व रेकार्ड मे खाता सं. 62 मे आराजी नं. 383, 384, 698 699/1 कुल किता 04 कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है, को स्थाई दुरुस्ती कर उक्त वर्णित कृषि आराजियात मे वादी को 1/2 हक हिस्से का वादी को सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं. 01 के साथ-साथ वादी का नाम दर्ज किया जावे। आपसी राजीनामा को पढ़कर सुनाया गया आपसी राजीनामा को शामिल पत्रावली किया गया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा आपसी राजीनामा को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर | नि. लक्ष्मा<br>नि. मांगे<br>I.d. by me<br>(राजमल जीनगर)<br>डॉ. पूजा सक्सेना<br>उपखण्ड अधिकारी माण्डल<br>प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:07:27 IST
Reason: SelfAttested

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जारी |
|---|---|---|
| | आदेश दिया जाता है कि ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का भीमड़ियास तहसील मांडल मे स्थित खाता संख्या 62 मे आराजी नं. 383 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नं. 384 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नं. 698 रकबा 2529 हैक्टेयर आराजी नं. 699/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है उक्त वर्णित आराजियात मे वादी को 1/2 हक हिस्से का वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1 के साथ-साथ वादी का नाम अंकन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। | |
| | डॉ. पूजा सक्सेना<br>उपखण्ड अधिकारी माण्डल<br>प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:07:27 IST
Reason: SelfAttested

153

र व
काम
की
जारी

( आ0 20 नियम 6 / जा0दी0 ) डिक्री

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डॉ॰ पूजा सक्सेना ( आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री जवारा S/o श्री भैरू भील निवासी - सूरजपुरा तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

श्री मागू S/o श्री भैरू भील निवासी - सूरजपुरा तहसील - माण्डल

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा॰ माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 मुकदमा नं0 / वर्ष 67/21 निर्णय दिनांक 03-12-21

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री पवन कुमार शर्मा Adv मिनजानिब मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि आपसी राजीनामानुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का भीमड़ियास तहसील माण्डल मे स्थित खाता सं॰ 62 मे स्थित आराजी नं॰ 384 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नं॰ 383 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नं॰ 698 रकबा 2529 हैक्टेयर, आराजी नं॰ 699/1 रकबा ... कुल किता 04 कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि मे वादी को 1/2 ... का वादी को सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता ... रेकार्ड मे प्रतिवादी सं॰ 1 के साथ - साथ वादी का नाम अंकन किया जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना - अपना वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:07:27 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 03-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

डॉ. पूजा सक्सेना